TRAI'S DIRECTIVE ON MARKET STRUCTURE / COMPETITION IN CABLE TV SERVICES

In a significant development, The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has issued its recommendations on Ministry of Information and Broadcasting (MIB) back reference dated 19th February 2021 on TRAI's Recommendations on "Monopoly/Market Dominance in the Cable TV Services dated 26th November 2013."

The MIB vide its letter dated 19th February 2021 has referred back TRAI's Recommendations on "Monopoly/ Market Dominance in the Cable TV Services" dated 26th November 2013. In its above-referred letter, MIB has informed TRAI that considerable time has passed since the above-mentioned recommendations were made by TRAI and that the media and entertainment (M&E) landscape has changed drastically, particularly with the advent of new digital technologies in this sector. Therefore, MIB has requested TRAI to provide a fresh set of recommendations in the matter looking at the subsequent developments/ expansion in the M&E sector.

In this regard, TRAI had issued consultation paper on 'Market Structure/Competition in Cable TV services' on 25th October 2021 for seeking comments of all the stakeholders. The last date of submission of comments was 22nd November 2021 and counter-comments was 6th December 2021, which were extended up to 6th December 2021 and 20th December 2021 respectively, on request of some stakeholders. TRAI received comments on consultation paper from 70 stakeholders and counter-comments from 7 stakeholders, which are available on TRAI website. In this regard, an Open House Discussion was also held on 27th January 2022 through online mode.

After considering all comments/ counter-comments received from stakeholders during consultation process and

केबल टीवी सेवाओं में बाजार संरचना/प्रतिस्पर्धा पर ट्राई का निर्देश

*एक महत्वपूर्ण स्थिति विकास में भारतीय दूरसंचार नियामक आयोग (ट्राई) ने दिनांक **26 नवंबर 2013** को 'केबल सेवाओं में एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व' पर ट्राई की सिफारिशों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय (आईएंडबी) के बैक रेफ्रेंस पर दिनांक **19 फरवरी 2021** को अपनी सिफारिशें जारी की।*

एमआईबी ने अपने पत्र दिनांक **19** फरवरी **2021** के माध्यम से **26** नवंबर **2013** को 'केबल सेवाओं में एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व' पर ट्राई की सिफारिशों को वापस संदर्भित किया। अपने उपर्युक्त पत्र में एमआईबी ने ट्राई को सूचित किया है कि उसके बाद भी काफी समय बीत चुका है। ट्राई द्वारा उल्लिखित सिफारिशें की गयी थीं और मीडिया व मनोरंजन (एमएंडई) परिदृश्य में काफी बदलाव आया है, खासकर इस क्षेत्र में डिजिटल तकनीकियों के आगमन के साथ। इसलिए एमआईबी ने ट्राई से एमएंडई क्षेत्र में बाद के विकास /विस्तार को देखते हुए इस मामले में सिफारिशों का एक नया सेट प्रदान करने का अनुरोध किया है।

इस संबंध में ट्राई ने **25** अक्टूबर **2021** को 'केबल टीवी सेवाओं में बाजार संरचना/प्रतिस्पर्धा' पर परामर्श पत्र जारी करके सभी हितधारकों से राय मांगी थी। इस पर टिप्पणियों को जमा करने की अंतिम तारीख **22** नवबंर **2021** थी और प्रति टिप्पणियां **6** दिसंबर **2021** तक दी जा सकती थी, जिसे कुछ हितधारकों के अनुरोध के बाद क्रमशः **6** दिसंबर **2021** और **20** दिसंबर **2021** तक बढ़ा दिया गया था। ट्राई को **70** हितधारकों से परामर्श पत्र पर टिप्पणियां और **7** हितधारकों से प्रति–टिप्पणियां प्राप्त हुई, जो ट्राई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस संबंध में ऑन लाइन मोड के माध्यम से **27** जनवरी **2022** को एक ओपन हाउस विचार–विमर्श का भी आयोजन किया गया था।

परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त सभी टिप्पणियों/प्रति

further analysis of the issues, the Authority has finalised its recommendations. The salient features of the recommendations are given below:

(i) In view of sufficient competition in the cable television distribution sector at present, the Authority recommends that there is no need to introduce any additional regulations or take any corrective measures to enhance the level of competition in cable TV distribution sector. However, developments may be monitored and intervention as felt necessary shall be considered at appropriate time.

(ii) The Authority recommends that the Government may take suitable measures to facilitate and promote sharing of cable infrastructure by Local cable operator with Telecom Service Providers to enable last mile for provision of broadband services. The Government may issue necessary amendments to existing rules/ guidelines, to enable use of last mile infrastructure created by cable operator by TSPs for promoting broadband connections.

The Government may amend the rules under the Cable Television Networks (Regulation), Act 1995 to explicitly indicate the following;

"*Cable operators may strive to provide last mile access to Access service providers/ Internet Service Providers in a fair, transparent and non-discriminatory manner for proliferation of broadband services.*" ■

सत्यमेव जयते

Ministry of Information and Broadcasting

टिप्पणियों और मुद्दों पर आगे विश्लेषण पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है। सिफारिशों की मुख्य विशेषताओं को नीचे दिया गया हैः

(i) वर्तमान में केवल टीवी वितरण क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, प्राधिकरण अनुसंशा करता है कि केवल टीवी वितरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के स्तर को बढ़ाने के लिए कोई अतिरिक्त नियम लागू करने या कोई सुधारात्मक उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि, घटनाक्रम की निगरानी की जा सकती है और उचित समय पर आवश्यक समझे जाने पर हस्तक्षेप पर विचार किया जा सकता है।

(ii) प्राधिकरण अनुसंशा करता है कि सरकार ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रावधान के लिए लास्ट माइल को सक्षम करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ स्थानीय केबल ऑपरेटर द्वारा केबल बुनियादी ढ़ांचे को साझा करने और बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त उपाय कर सकती है। सरकार मौजूदा नियमों/दिशानिर्देशों में आवश्यक संशोधनों को जारी कर सकती है, ताकि ब्रॉडबैंड कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए टीएसपी द्वारा केबल ऑपरेटर द्वारा बनाये गये लास्ट माइल के बुनियादी ढ़ांचे का उपयोग किया जा सके।

सरकार केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम 1995 के तहत नियमों में संशोधन कर सकती है ताकि निम्नलिखित को स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सकेः

'केवल ऑपरेटर, ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से एक्सेस सेवा प्रदाताओं/इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को लास्ट माइल तक पहुंच प्रदान करने का प्रयास कर सकते हैं।' ■

THE BIGGEST GATHERING OF THE CATV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY AT

SCAT2022

SCAT INDIA TRADESHOW • MUMBAI

13 - 15 October, 2022 ❖ Jio World Convention Centre, Mumbai

Mob.: +91-7021850198 Tel.: +91-22-62165313 Email: scat.sales@nm-india.com URL: www.scatindiashow.com